फा.सं.8/1/2017-सामान्य

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

90, संसद भवन,

नई दिल्ली।

दिनांक: 8 मार्च, 2017

<u>निविदा सूचना</u>

विषय: वर्ष 2016-17 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें लगभग 260 पृष्ठ हैं, की 400 प्रतियों की छपाई के संबंध में।

इस मंत्रालय की समसंख्यक निविदा सूचना दिनांक 22 फरवरी, 2017 के क्रम में, अपर्याप्त बोली प्राप्त होने के कारण, यह मंत्रालय डीएवीपी (विज्ञापन और दृश्य प्रसार निदेशालय) भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध/ अनुमोदित प्रिंटरों से इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, जिसमें लगभग 260 पृष्ठ (द्विभाषी) होंगें, की छपाई के लिए नई मुहरबंद कोटेशन दो लिफाफों में बोली आमंत्रित करता है: पहली तकनीकी बोली जिसमें रू.10,000/- की बयाना राशि सहित फर्म का पैन नंबर, बैंक की ऋण चुकाने की क्षमता का प्रमाणपत्र, बुनियादी ढांचे और परिसर का विवरण; तथा दूसरी बोली का लिफाफा जोकि वित्तीय बोली का होगा और उस पर "**<u>वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की छपाई</u>**" शब्द लिखे होंगे। निविदा **<u>श्रीमती सुमन एस. बारा, उप सचिव, कमरा नं.92, संसद भवन, नई दिल्ली में 22 मार्च, 2017 को दोपहर 12.00 बजे तक</u>** पहुंच जानी चाहिए। बोली को सभी आवेदकों/ बोलीदाताओं के सामने उसी दिन इस मंत्रालय की खरीद समिति द्वारा खोला जाएगा। प्रिंटर को यह घोषणा करनी होगी कि किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान/एजेंसी ने उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है। वार्षिक रिपोर्ट निम्न विनिर्देशों के अनुसार मुद्रित की जाएगी:-

1.	प्रकाशन का आकार	A-4, 21 297CMs
2.	कवर पृष्ठ	225 GSM
3.	रिपोर्ट की विषय वस्तु/सार	90 GSM (23kg) उत्कृष्ट प्रिंट
4.	गुणवत्ता	आर्ट पेपर, स्क्रीन/लिथोग्राफिक प्रिंटिंग आदि
5.	फोटोग्राफ	आर्ट पेपर
6.	प्रूफ़ रीड़िंग	प्रूफ रीडिंग के तीन राउंड
7.	कार्य को पूरा करना	नमूने के अंक के अनुमोदन के पश्चात 7 दिनों में प्रिंटिंग पूरी की जाएगी
8.	साफ्ट प्रति	प्रिंटर मुद्रित पुस्तिका की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि पीडीएफ के साथ-साथ डीओसी प्रारूपों में उपलब्ध कराएगा

2. केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी रूप से योग्य होंगी। जो निविदाएं "**<u>वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली को देय</u>**" के पक्ष में रू.10,000/- की बयाना राशि के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में नहीं होगी, को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय के पास किसी भी या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी डाक विलंब के लिए मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

3. प्रत्येक प्रति की दर में सभी कर, भाड़ा शुल्क, स्कैनिंग, रचना, कटाई, दबाना, जिल्दबंदी आदि शामिल होगा प्रिंटर केवल मंत्रालय से आदेश प्राप्त करने के बाद ही मुद्रण करेगा। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बोलीदाता ने गलत जानकारी दी है या सफल बोलीदाता मंत्रालय की विशिष्टताओं और समय-सारिणी के अनुसार कार्य निष्पादित करने में विफल रहता है तो मंत्रालय के पास आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है । एक बार उद्धृत दरें, यदि आवश्यकता पड़ती है तो अतिरिक्त छापे जाने वाली प्रतियों के लिए भी लागू होगी।

4. कार्य के अंतिम निष्पादन तक मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश प्रिंटर पर बाध्यकारी होंगे। सशर्त निविदा तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी।

5. इस मंत्रालय के दिनांक 22 फरवरी 2017 के पिछले निविदा नोटिस के उत्तर में मंत्रालय में जो बोली प्राप्त हुई है, वह वैध होगी तथा उन्हें नई बोली प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23034728

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सभी मंत्रालय/विभाग।
2. मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए तकनीकी निदेशक, एनआईसी (संसदीय कार्य मंत्रालय)।
3. सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अवर सचिव (ले.क्र.)।